

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Inter-State River Water Authority Bill, 2017.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अंतर्राज्यीय नदियों पर बांधों के विनियमन और विकास की जांच, अंतर्राज्यीय नदियों पर विकासात्मक कार्यकलापों के नियंत्रण, अंतर्राज्यीय नदियों पर निर्मित बांधों के वास पर प्रभाव और उसकी सुरक्षा की निगरानी तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an Inter-State River Water Authority to look into regulation and development of dams on inter-State rivers, controlling developmental activities on inter-State rivers, monitoring the safety and effects on habitat of dams on inter-State rivers and for all matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।